## छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांकः 212 / स.सा.प्र.वि. / 2020

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/04/2020

प्रति,

- 1. समस्त संभागायुक्त / पुलिस महानिरीक्षक,
- 2. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक,
- विषय:— नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों के अंर्तराज्यीय मूवमेंट के संबंध में निर्देश।
- संदर्भ:- गृह सचिव, भारत सरकार का पत्र क्रमांक 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक 29/04/2020

--00--

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों के अंर्तराज्यीय मूवमेंट के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

- 2/ इन निर्देशों के परिपालन में अंर्तराज्यीय मूवमेंट हेतु अनुमित दी जा सकती है परंतु अन्य राज्यों के हॉटस्पॉटस जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आने के लिए अनुमित न दी जाये।
- 3/ पूर्व में अप्रभावित जिलों के हॉटरपॉटस घोषित होने की दशा में भी अंर्तराज्यीय मूवमेंट हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाकर अन्य राज्यों के हॉटरपॉटस जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी।
- 4/ राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले, अन्य राज्य में जाने वाले तथा राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रांजिट करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संलग्न प्रारूप अनुसार संधारित की जाये।

संलग्नः- प्रारूप उपरोक्तानुसार।

(डॉ. कर्मलप्रीत सिंह) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांकः २१३ / स.सा.प्र.वि. / २०२० प्रतिलिपिः—

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/04/2020

- 1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव.
- 2. गृह सचिव, भारत सरकार,
- 3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
- 4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट रायपुर,

 विशेष सहायक / निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
- 9. समस्त विभागाध्यक्ष,

10. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,

11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

> छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग

# अन्य राज्यों से व्यक्तियों के छत्तीसगढ़ आने/जाने/ट्रांजिट पर जानकारी एकत्रित करने हेतु प्रारूप

जिले का नाम-

							स.क.
							व्यक्ति का नाम आयु
							आयु
				एवं स्थल	तिथि/समय	픠	छत्तीसगढ़
		र्रेन नं	नंबर,	जानकारी	वाहन,	बस्	आने
		र इत्य	नंबर, वाहन नंबर,	孕		लें	का म
		दि )	नबर,	(बस	롸	왕	ध्यम,
		राज्य सहित	राज्य का प	लॉकडाउन	अथवा छत्तीर	बस, रेल, अन्य छत्तीसगढ़ में	लॉकडाउन
			ात, जिला ए	(बस लॉकडाउन अवधि में अन्य	गढ़ आने से पू	निवास का पत	अवधि में
			-4.				
				र सहित	初	카	하
					ता, जि	बाहर	भीतर
					त का पता, जिला एवं	गंतव्य	अथवा
					187	य	मोबाई
						राज्य के बाहर गंतव्य या टेलीफोन	ल नंबर
		7	<b>登</b> )	/চার/अन्य	यात्री/पर्यटक	(श्रमिक / तीर्थ	श्रेषी

### No.40-3/2020-DM-I (A) Government of India Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001 Dated 29th April, 2020

### ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Orders No.40-3/2020-DM-I(A) dated 15<sup>th</sup> April, 2020, 16<sup>th</sup> April, 2020, 19<sup>th</sup> April 2020, 21<sup>st</sup> April 2020 and 24<sup>th</sup> April 2020 and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby orders to *include* the following in the consolidated revised guidelines for strict implementation by Ministries /Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State /Union Territory Authorities:

# Sub-clause (iv) under Clause 17 on Movement of persons:

- iv. Due to lockdown, migrant workers, pilgrims, tourists, students and other persons are stranded at different places. They would be allowed to move as under:
  - a. All States/ UTs should designate nodal authorities and develop standard protocols for receiving and sending such stranded persons. The nodal authorities shall also register the stranded persons within their States/ UTs.
  - b. In case a group of stranded persons wish to move between one State/ UT and another State/ UT, the sending and receiving States may consult each other and mutually agree to the movement by road.
  - c. The moving person (s) would be screened and those found asymptomatic would be allowed to proceed.
  - d. Buses shall be used for transport of groups of persons. The buses will be sanitized and shall follow safe social distancing norms in seating.
  - e. The States/ UTs falling on the transit route will allow the passage of such persons to the receiving State/ UT.
  - f. On arrival at their destination, such person(s) would be assessed by the local health authorities, and kept in home quarantine, unless the assessment requires keeping the person(s) in institutional quarantine. They would be kept under watch with periodic health check-ups. For this

purpose, such persons may be encouraged to use *Aarogya Setu* app through which their health status can be monitored and tracked.

The guidelines of the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) on Home Quarantine, dated 11.03.2020 may be referred to in this regard, which are available at <a href="https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.">https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.</a>

Home Secretary

To: (As per list attached)

- 1. The Secretaries of Ministries /Departments of Government of India
- 2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories
  Copy to:
- All members of the National Executive Committee.
- ii) Member Secretary, National Disaster Management Authority.